न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 76 / 2024

श्री कमाल हुसैन पुत्र नजर मोहम्मद निवासी तालकटोरा सोहराब खां की हवेली टोंक तहसील व जिला टोंक राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 06.02.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 07.11.2024 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

1–आवेदक द्वारा दिनांक 21.02.2022 को तहसीलदार टोंक जरिये प्रार्थना पत्र Segregation के दोराने गलत दर्ज हुए भूमि खसरा नम्बर 6537 मे हिस्सा को सही करवाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था,जिसको जरिये डिस्पेंच संख्या 1436 दर्ज किया गया था,जिसकी छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न है। उक्त प्रार्थना पत्र पर श्रीमान द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयर है,की सम्पूर्ण जानकारी प्रमाणित प्रतिलिपि मे उपलब्ध करावे।
2–आवेदक द्वारा दिनांक 01.10.2024 को श्रीमान तहसीलदार महोदय को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भूमि खसरा नम्बर 6537 रकबा 1.3785 है. भूमि मे अफजल हुसैन पुत्र भून्दु खां हिस्सा 5 / 24 Segregation के दोरान गलत रूप से दर्ज हुआ था,जिसके विक्रय पत्र बैचान पत्र पर रोक हेतु आवेदन प्रेषित किया गया है,अब तक इस पर क्या कार्यवाही हुई से अवगत करवाया जावे व अग्रिम कार्यवाही से भी अवगत करवाया जावे और डिस्पेज नम्बर व दिनांक बताये।
3–खसरा नम्बर 6537 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा मे Segregation के दौराने गलत हिस्सो को दुरूस्त करवाने के नियम से अवगत करवाया जावे तथा आवेदन करने के नियम के प्रारूप से अवगत कराया जावे व संबंधित अधिकारी का नाम व पद की जानकारी भी उपलब्ध करावे।
4–खसरा नम्बर 6537 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा कृषि भूमि मे गलत हिस्से को दुरूस्त करवाने का नियम कौनसी धारा के अन्तर्गत आयेगा,प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।
5–उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 6537 मे पृथक–करण के दोराने गलत हिस्से का विक्रय पत्र पंजीकृत कर दिया जाता है है तो ऐसे विक्रय पत्र को निरस्त करवाने हेतु संबंधित अधिकारी का नाम व पद अवश्य बताये व किस धाराओ के तहत आवेदन करना चाहिये,उसकी समय सीमा क्या रहेगी,की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को पत्र कमांक 1967 दिनांक 26.12.2024, 48 दिनांक 09.01.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक ने पत्र कमांक 218 दिनांक 16.01.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के बिन्दू संख्या 1 ता. 4 के संबंध में अपीलार्थी को पत्र कमांक 17054 दिनांक 24.12.2024 से सूचित किया जा चुका है और प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मे अंकित बिन्दू संख्या–5 उप पंजीयक टोंक से सबंधित होने के कारण पत्र कमांक 16381 दिनांक 26.11.2024 से अन्तरित किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा चाही गई बिन्दू संख्या–5 कि सूचना उप पंजीयक टोंक से संबंधित होने के कारण दिनांक 26.11.2024 को प्रार्थना पत्र नियमानुसार अन्तरित कर दिया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है। आप द्वारा चाही गई बिन्दू संख्या 5 कि सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उप पंजीयक टोंक से संबंधित है, उनके द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाने कि स्थिति में अपीलान्ट उनके प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील करने हेतु स्वतंत्र है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक